

Form No-|||

अज अदालत

फर्द अहकाम (नियम 26)

उपखण्ड अधिकारी

मुकाम

रायसिंहनगर

किसम गुकदमा 136 एल आर एक्ट

मापादेवी

बनाम

सरकार

नम्बर 288

सन् 2021

तारीख हुकम	जो.सी.एम.एस. आईडी 2021 / हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी किए
08.11.2021	<p>तहसीलदार भू.अ./नायब तहसीलदार <u>कुमावत</u> रायसिंहनगर के पत्रांक/भू.अ./प्र.गां.सं.अ./2021/76-90 दिनांक <u>08.11.2021</u> के द्वारा प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021 कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत <u>354K</u> में प्रार्थी के नाम चक <u>14 M.L</u> की जमाबंदी सम्वत् <u>2074-77</u> के खाता सं. <u>132</u> में <u>मापादेवी</u> <u>010-4-प्रमावत</u> के स्थान पर <u>मापादेवी</u> <u>010-4-प्रमावत</u> <u>रामचन्द्र विक्रम सापुवा</u> <u>रामचन्द्र</u> की दुरुस्ती किये जाने की अनुशंषा की हैं। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो। मजमा-ए-आम कैम्प कोर्ट में तहसीलदार/नायब तहसीलदार रिपोर्ट अनुसार दुरुस्ती किए जाने पर किसी व्यक्ति द्वारा कोई आपत्ति जाहिर नहीं की गयी हैं। अतः तहसीलदार/नायब तहसीलदार <u>कुमावत</u> रायसिंहनगर की अनुशंषा के आधार पर वाके चक <u>14 M.L</u> तहसील रायसिंहनगर की जमाबंदी सम्वत् <u>2074-77</u> के खाता सं. <u>132</u> में <u>मापादेवी</u> <u>010-4-प्रमावत</u> के स्थान पर <u>मापादेवी</u> <u>010-4-प्रमावत</u> <u>रामचन्द्र</u> <u>विक्रम सापुवा</u> <u>रामचन्द्र</u> की दुरुस्ती करने के आदेश दिए जाते हैं। शेष अंकन बदस्तूर रहेगा। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। इसी आशय का आदेश तहसीलदार रायसिंहनगर के नाम जारी हो। पत्रावली फ़ैसले में शुमार होकर दाखिल दफतर हो। आदेश मजमा-ए-आम में सुनाया गया।</p>	

(अर्पिता सोनी)

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

